

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी
अपर सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक.....

विषय:- प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में एम०एस०डी०पी०) अंतर्गत 86वीं प्राधिकृत समिति में स्वीकृत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोहाट रानी एवं बुआलदाह, कोचाधामन प्रखण्ड, जिला-किशनगंज में 02 इकाई एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालपीर, टेढ़ागाँछ प्रखण्ड, जिला-किशनगंज में 01 इकाई के भवन निर्माण हेतु विशेष राज्यांश के रूप में क्रमशः ₹38.52884 लाख (अड़तीस लाख बावन हजार आठ सौ चौरासी) एवं ₹18.99 लाख (अठारह लाख निनाब्बे हजार) अर्थात् कुल ₹57.51884 लाख (सत्तावन लाख इक्कावन हजार आठ सौ चौरासी) के व्यय पर सहमति प्रदान करते हुए निकासी एवं आवंटन की स्वीकृति।

प्रसंग:- महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना का पत्रांक- BMSICL/80050/01-2019/6367, दिनांक-16.10.2024 एवं BMSICL/80050/21-2016/6237, दिनांक-09.10.2024

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में एम०एस०डी०पी०) के अंतर्गत 86वीं प्राधिकृत समिति द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोहाट रानी एवं बुआलदाह, कोचाधामन प्रखण्ड, जिला-किशनगंज में 02 इकाई एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालपीर, टेढ़ागाँछ प्रखण्ड, जिला-किशनगंज में 01 इकाई के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसकी कार्यकारी एजेंसी बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विषयांकित योजना की स्वीकृति प्रति इकाई रुपये 98.00 लाख की दर से प्रदान की गयी है। परन्तु कार्यकारी एजेंसी से प्राप्त अनुरोध के आलोक में योजना के क्रियान्वयन हेतु क्रमशः रुपये ₹38.53 लाख (अड़तीस लाख तिरपन हजार) एवं ₹18.99 लाख (अठारह लाख निनाब्बे हजार) मात्र अर्थात् कुल ₹57.52 लाख (सत्तावन लाख बावन हजार) के रूप में स्वीकृत करते हुए विभागीय पत्रांक-2185, दिनांक-27.07.2022 द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन क्रमशः ₹234.53 लाख एवं ₹116.99 लाख अर्थात् कुल ₹351.52 लाख मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यकारी एजेंसी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उक्त कुल 03 इकाई के लिए द्वितीय किस्त केंद्रांश एवं आनुपातिक राज्यांश की राशि क्रमशः ₹110.25 लाख एवं ₹36.75 लाख की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-721, दिनांक-19.03.2024 द्वारा PFMS के तहत संचालित Single Nodal Account से दिया गया है। योजनांतर्गत उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को प्राप्त है।

2. कार्यकारी एजेंसी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक- BMSICL/80050/01-2019/6367, दिनांक-16.10.2024 एवं BMSICL/80050/21-2016/6237, दिनांक- 09.10.2024 द्वारा विषयांकित योजना के निर्माण कार्य हेतु विशेष राज्यांश की राशि क्रमशः रुपये 38,52,884/- (अड़तीस लाख बावन हजार आठ सौ चौरासी) मात्र 18,99,471/- (अठारह लाख निनाब्बे हजार चार सौ इकहतर) की अधियाचना के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 11 में अंकित राशि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रुपये में)

प्राधिकृत समिति	जिला एवं प्रखण्ड	परियोजना का नाम	अनुपात	इकाई की संख्या	इकाई की लागत	निर्धारित केन्द्रांश की राशि	निर्धारित राज्यांश की राशि	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् योजना की कुल लागत राशि	प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् विशेष राज्यांश के रूप में स्वीकृत राशि	विशेष राज्यांश के रूप में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86वीं	किशनगंज (कोचाधामन)	Construction of Additional Primary Health Centre at Kalpir	75:25	01	98.00	73.50	24.50	116.99	18.99	18.99
86वीं	किशनगंज (कोचाधामन)	Construction of APHC at Modho Hat Rani & Buladah	75:25	02	196.00	147.00	49.00	234.53	38.53	38.52884
Total				3	294.00	220.5	73.50	351.52	57.52	57.51884

03. उक्त राशि की निकासी मुख्यशीर्ष 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 051-निर्माण, मांग संख्या 30, उपशीर्ष 0308-अल्पसंख्यकों के लिये बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम-विशेष राज्यांश, विपत्र कोड- 30-4250000510308, विस्तृत शीर्ष 53- मुख्य निर्माण कार्य, विषय शीर्ष-01 मुख्य निर्माण कार्य पी०एफ०एम०एस० कोड- 9217 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विशेष राज्यांश मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकलनीय है।
04. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- MsDP-21/17/2021-MsDP-MOMA, दिनांक- 29.04.2022 के साथ संलग्न वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालयी ज्ञापक- F.No. 1(13)PFMS/FCD/2020, दिनांक- 23.03.2022 के आलोक में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राशि का कोष प्रवाह/व्यय Single Nodal Account के माध्यम से किया जाना है।
05. उक्तालोक में स्वीकृत विशेष राज्यांश की कुल राशि ₹57.51884 (सन्तावन लाख इक्यावन हजार आठ सौ चौरासी मात्र) की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में की जायेगी एवं सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा वित्त विभागीय पत्रांक-7111 दिनांक-28.07.2022 के आलोक में CFMS अन्तर्गत Bill Description- Fully Vouched Contingent Bill एवं Claim Type- Transfer to SNA द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के संचालन हेतु खोली गयी Single Nodal Account (Pay ID- PT0075286-413501000406-ICIC0004135) में अंतरण करेंगे।
06. Single Nodal Account, प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (Scheme Code- BR149) में राशि प्राप्ति की संपुष्टि के उपरान्त Single Nodal Agency (निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, पटना), प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (BR149) द्वारा उक्त विशेष राज्यांश की कुल राशि ₹57.51884 (सन्तावन लाख इक्यावन हजार आठ सौ चौरासी मात्र)की अधिसीमा (Limit), State Scheme Manager (निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, पटना (Agency Unique Code- BRPA00009367 & Scheme Code- BR149), प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिये निर्धारित करेंगे। तदुपरान्त State Scheme Manager, प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम, कार्यकारी एजेंसी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को PFMS के माध्यम से उक्त विशेष राज्यांश की कुल राशि ₹57.51884 (सन्तावन लाख इक्यावन हजार आठ सौ चौरासी मात्र)की अधिसीमा (Limit) निर्धारित करेंगे। कार्यकारी एजेंसी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना (Unique Agency Code - BRPA00010919) को उक्त उक्त विशेष राज्यांश की कुल राशि ₹57.51884 (सन्तावन लाख इक्यावन हजार आठ सौ चौरासी मात्र)के निकासी एवं आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
07. वित्त विभाग के पत्रांक-7355/वि० दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
08. योजना अंतर्गत बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक 4989 वि० (2) दिनांक 16.05.2013 एवं अन्य अद्यतन परिपत्र/आदेश की सभी कंडिकाओं का अपेक्षित होगा।
09. योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अंतर्गत किया जाएगा एवं समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निकासी के दौरान वित्त नियमावली के नियमों व वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संकल्पों व परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
11. जिस योजना हेतु राशि उपलब्ध करायी जा रही है, उसी कार्य में राशि व्यय किया जायेगा।
12. इस योजना की राशि की निकासी हेतु विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार का परामर्श संचिका संख्या- अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018 के पृ०.59/टि० पर प्राप्त है।
13. उपर्युक्त पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापक :- पत्रांक-अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018...../पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- State Scheme Manager, प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम- सह- Single Nodal Agency-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- पत्रांक-अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि :- सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार,
पटना/लेखा शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक
ज्ञापांक :- पत्रांक-अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक
ज्ञापांक :- पत्रांक-अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक
ज्ञापांक :- पत्रांक-अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक
ज्ञापांक :- पत्रांक-अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक
ज्ञापांक :- पत्रांक-अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय प्रमुख, संस्थागत व्यापार समूह, ICICI बैंक लिमिटेड, पटना- 800001/शाखा प्रबंधक, शाखा
दुजरा, पटना, ICICI बैंक लिमिटेड, श्रीराज कॉम्प्लैक्स, 117A, अशोक राजपथ, दुजरा, पटना- 800001 को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

E-Mail

अपर सचिव-सह-निदेशक
ज्ञापांक :- पत्रांक-अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

E-Mail

अपर सचिव-सह-निदेशक
ज्ञापांक :- पत्रांक-अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि :- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वीं मंजिल, प० दीनदयाल अन्त्योदय भवन,
सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक
ज्ञापांक :- पत्रांक-अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018.....569...../पटना-15, दिनांक.....24/01/18.....
प्रतिलिपि :- आई०टी० प्रबंधक/प्रोग्रामर (पी०एम०जे०वि०के० कोषांग), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ प्रेषित। आई०टी० प्रबंधक को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृतिदेश को विभागीय वेबसाइट पर
अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अपर सचिव-सह-निदेशक

24/01